न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट), मऊ।

उपस्थित–हरेन्द्र प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–300159/2011

सी0एन0आर0सं0–यू0पी0एम0ए0–0100–0316–2011

उ0प्र0 राज्य

बनाम

01. विद्युत यादव,

02. राजेन्द्र यादव पुत्रगण रामधारी यादव,

03. बृजेश यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव समस्त निवासीगण बेलभद्रपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ।

04. बाल मुकुन्द पुत्र बिन्देश्वरी निवासी ग्राम खन्तिया, थाना घोसी, जनपद मऊ।

(क). प्रतिनिधित्व जरिये अभियोजन विद्वान अधिवक्तागण : –

श्री अखिलेश कुमार सिंह व

श्री सत्येन्द्र नाथ राय, ए0डी0जी0सी0 (एस0सी0/एस0टी0) ऐक्ट, जनपद मऊ,

(ख). अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ताः – श्री दारोगा सिंह, राजेश सिंह, ऋषिकेश सिंह,

श्री स्वामीनाथ यादव, कैलाश यादव,

(ग). वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता : – श्री जयप्रकाश यादव

प्रकरण से सम्बन्धित विवरण संक्षेप में।

मु0अ0सं0	1052/2007,
घटना की तिथि व समय	18.12.2007 समय 07:00 बजे शाम
एफ0आई0आर0 धारा व तिथि व समय	धारा–323,504 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट तिथि 19.12.2007 समय 11:10
आरोप पत्र धारा	धारा–323,504 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
प्रसंज्ञान तिथि	26.03.2008
सत्र सुपुर्दगी तिथि	07.07.2011
आरोप विरचित धारा व तिथि	धारा–323,504 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट तिथि 12.03.2014
साक्ष्य प्रारम्भ व अंतिम तिथि	08.12.2006 से 10.01.2024
धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित तिथि	02.05.2015
बहस तिथि	08.10.2024

Digitally signed by HARANDER PRASAD
Date: 2024.10.21 16:39:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mau.

निर्णय धारा व तिथि	धारा–323,504 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट तिथि 21.10.2024
परिणाम	दोषसिद्धि

अभियोजन के साक्षियों व साबित प्रपत्रों की सूची :–

नाम साक्षी	प्रपत्र प्रकार	प्रदर्श
पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध, वादी मुकदमा	तहरीर	प्रदर्श क–01
पी0डब्ल्यू0–02 सत्येन्द्र यादव, चक्षुदर्शी साक्षी	–	–
पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव, चक्षुदर्शी साक्षी	–	–
पी0डब्ल्यू0–04 हृदयानन्द पाण्डेय, FIR लेखक	प्रथम सूचना रिपोर्ट कायमी आमद	प्रदर्श क–02 प्रदर्श क–03
पी0डब्ल्यू0–05 एच0के0 पंकज, चिकित्सक	आहत आख्या रामअवध, आहत आख्या छंगुरी देवी	प्रदर्श क–06 प्रदर्श क–07
पी0डब्ल्यू0–06 सत्यम, विवेचक	घटना स्थल का नक्शा नजरी आरोप पत्र	प्रदर्श क–04 प्रदर्श क–05

प्रतिरक्षा में प्रस्तुत साक्षीगण की सूची :–

कम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य का प्रकार
01.	शम्भूनाथ प्रसाद	प्राइवेट चिकित्सक
02.	रमेश राय	स्वतत्र साक्षी

–: निर्णय :–

01. प्रस्तुत प्रकरण में थाना घोसी, जनपद मऊ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–1052 / 2007, अन्तर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट के तहत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर **अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द के** विरूद्ध विचारण किया गया।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक प्रदर्श क–01 के अनुसार यह है कि वादी मुकदमा रामअवध राम द्वारा दिनांक 19.12.2007 को थाना, घोसी, जनपद मऊ में इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि "कल दिनांक 18.12.2007 को प्रार्थी तथा प्रार्थी की चचेरी बहन छंगुरी देवी बोझी बाजार से घर लौट रहे थे। **रास्ते में विद्युत यादव व राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बालमुकुन्द्र यादव मिले और कहने लगे कि बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में तुमने जांच कराया है। उसे गाली देने लगे, जिसका विरोध उसकी चचेरी बहन ने किया, जिसको धक्का देकर गिरा दिये तथा उसे लात–मुक्के व घुसे से मारने लगे।** शोर सुनकर उसके गांव

के सतेन्द्र यादव व वशिष्ठ यादव आ गये, जिन्होंने बीच–बचाव किया। यह घटना दिनांक 18.12.2007 को समय करीब सांय 07:00 बजे सतेन्द्र यादव के ट्यूबेल के मोड़ के पास हुई।"

03. वादी मुकदमा की ओर से दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना घोसी, जनपद मऊ में **अभियुक्त विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द के विरूद्ध मु0अ0सं0–1052/2007, अन्तर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)x एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट** का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा मामले की सम्यक विवेचना की गयी। विवेचक ने साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत अंकित किये तथा अन्वेषण की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात **अभियुक्त विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द** के विरूद्ध **अन्तर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 व अन्तर्गत धारा–3(1)x एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट** के तहत आरोप पत्र प्रदर्श क–05 सहित अन्य अभियोजन प्रपत्र तहरीर प्रदर्श क–01, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–02, नकल कायमी प्रदर्श क–03, नक्शा–नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–04, चिकित्सीय आख्या चोटहिल रामअवध प्रदर्श क–06, चिकित्सीय आख्या चोटहिल छंगुरी देवी प्रदर्श क–07 आदि न्यायालय में दाखिल किये गये।

04. विद्वान अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा दिनांक 26.03.2008 को उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया तथा धारा 207 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करके विचारण हेतु दिनांक 07.07.2011 को पत्रावली सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये तथा न्यायालय उपस्थित होकर अपनी–अपनी जमानत कराये तदुपरान्त अभियुक्तगण **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द** के विरूद्ध दिनांक 12.03.2014 को अन्तर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 व अन्तर्गत धारा–3(1)x एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के तहत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की याचना् किया। तदुपरान्त पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

06. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–01/वादी मुकदमा रामअवध राम** ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2015 को अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "**घटना दिनांक 18.12.2007 की शाम 07:00 बजे वह अपनी बहन झुमरी उर्फ झिंगुरी के साथ बोझी बाजार से घर लौट रहा था कि रास्ते में राजेन्द्र, बालमुकुंद, बृजेश मिले और कहे कि साले बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में जांच कराया है और कहे कि चमारियो–सियारियो काहे जांच कराये हो। यह कहकर उसकी बहन को धक्का देकर गिरा दिये। उसे दो–तीन जगह चोट आयी। दोनों बांह में चोट आयी थी तथा सीने में दर्द था।** हम लोगों का डॉक्टरी सरकारी अस्पताल में हुआ था। मुल्जिमान के मारने पर उसने शोर किया। बीच–बचाव करने उसके गांव के सतेन्द्र यादव व वशिष्ठ आये। उसने घटना की रपट करायी थी, जो शामिल पत्रावली है तथा कागज संख्या 5क है, जिसको देखकर गवाह ने कहा कि इस पर स्थित हस्ताक्षर उसका ही है और पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श क–01** डाला गया।

सी0ओ0 साहब ने उसका बयान लिया था। उसने उनको मौका दिखाया था। **मुल्जिमान हमें बोझी से बलभद्रपुर और बलभद्रपुर से बोझी जाने वाले रास्ते पर राजेन्द्र यादव के खेत के पूरब तरफ मारे थे।"**

07. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–01/वादी मुकदमा रामअवध राम ने न्यायालय के समक्ष अपनी **प्रति परीक्षा** में पेज संख्या–04 पर साक्ष्य दिया है कि उसका लड़का सुरेश बी0पी0एल0 कार्डधारक है और उसने भी बी0पी0एल0 कार्ड बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु उसका बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बना। इसकी शिकायत उसने किसी से नहीं किया। हां उसने शिकायती प्रार्थना पत्र एस0डी0एम0 को दिया था, पत्र की जांच किसने किया वह नहीं बता सकता। उसने विद्युत यादव के विरूद्ध एस0डी0एम0 को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। जब वह बोझी बाजार से वापस आ रहा था तो उसके साथ उसकी चचेरी बहन छंगुरी थी। जो शिकायती प्रार्थना पत्र उसने विद्युत यादव के खिलाफ बी0पी0एल0 कार्ड हेतु दिया था उस समय विद्युत यादव गांव के प्रधान थे। जिस समय उसके ऊपर हमला हुआ था उस समय अंधेरा हो गया था। पेज संख्या–05 पर साक्ष्य दिया है कि उसके ऊपर हमला दक्षिण दिशा से हुआ। उसे लात–मुक्का व घूसे से मुल्जिमान मारे। उसे बायें बांह पर दो जगह व पीठ में दर्द था। पीठ में भी मारे थे। इसके अलावा कहीं भी नहीं मारे–पीटे थे। उसकी बहन छंगुरी को भी चोट लगी थी। छंगुरी को चोट घुटने में लगी थी और घुटने के चीने लगी थी। इसके अलावा अन्य किसी जगह शरीर पर चोट नहीं लगी थी। इसका भी डॉक्टरी मुआयना हुआ था। उसका भी डॉक्टरी मुआयना हुआ था। घटनास्थल के उत्तर सत्येन्द्र यादव का ट्यूबेल है। दक्षिण रास्ता है। पूरब खेत है लक्ष्मी यादव का है। पश्चिम सत्येन्द्र यादव का खेत है। मुल्जिमान उसे लाठी–डण्डा व ईंट के टुकड़े से नहीं मारे–पीटे थे। पेज संख्या–06 पर साक्ष्य दिया है कि घ टना का दिन दिसम्बर का महीना था सात बजे का समय था अंधेरा हो गया था। अंधेरा की वजह से देखने–पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वह अंधेरे में अजनबी को एक लट्ठा दूरी से पहचान पायेगा दूर का नहीं पहचान पायेगा। बोझी बाजार 04:00 बजे गया था 06:30 बजे वापस आया। बाजार में छंगुरी उसके साथ थी। छंगुरी उसकी चचेरी बहन है। उसके आगे सेवक, पीछे वशिष्ठ यादव, सत्येन्द्र थे। दो–चार लट्ठा सत्येन्द्र पीछे थे। हल्ला सुनकर आ गये। घटनास्थल बाजार व घर से एक किमी है। दरखास्त विद्युत के खिलाफ दिया था। विद्युत ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान के नाते सभी लोग साथ में थे। पेज संख्या 07 पर साक्ष्य दिया है कि वह चुनाव मेम्बरी का लड़ा था। इसमें विद्युत प्रधान हुआ, वह मेम्बर हुआ गया। विद्युत के खिलाफ राजेन्द्र यादव चुनाव लड़े थे, हार गये। उसे मेम्बरी राजेन्द्र ने लड़ाया था। मारने से चोट लगने पर खून नहीं गिरा था। लात–घूसा से मारे वह गिर गया। चोट बायें बांह, सीने में व पीठ में दर्द था। कुल तीन चोट लगी थी। डण्डा बगैरह से नहीं मारे थे। सब लोग मिलकर चारों लोग मारे। वह यह नहीं बता सकता कि कौन कितना मारा। वह दाहिने गिरा था। पेज संख्या 08 पर साक्ष्य दिया है कि छंगुरी को दो चोट लगी थी। धक्का देकर गिरा दिये थे। छंगुरी को चारों लोगों ने मारा–पीटा। छंगुरी का कट–फट गया था, खून गिरा था। उसका व छंगुरी का डॉक्टरी मुआयना साथ में हुआ था। दारोगा जी सी0ओ0 साहब आये थे 10–15 दिन

बाद घटना के आये थे। घटना की मौजूदगी उत्तर सतेन्द्र ट्यूबेल, दक्षिण सड़क कच्ची, पूरब लक्ष्मी का खेत व पश्चिम सत्येन्द्र का खेत है।

08. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सत्येन्द्र यादव, चक्षुदर्शी साक्षी ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.03.2017 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "घटना दिनांक 18.12.20007 को समय सात बजे शाम की है। रामअवध व छंगुरी देवी के शोर पर वह घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव तथा बालमुकुन्द आदि लोग रामअवध व छंगुरी को मार रहे थे तथा हाथ पांव से मार रहे थे तथा गाली चमारिया–सियारिया मादरचोद की दे रहे थे।** मौके पर उसके अलावा वशिष्ठ यादव आ गये। उन्होंने भी बीच–बचाव किया। उसके बाद ये लोग बोझी की तरफ चले गये। अभियुक्त बाल मुकुन्द खन्तिया के रहने वाले हैं। अन्य मुल्जिमान मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। **घटना उसके ट्यूबेल से दक्षिण–पूर्व खण्ड़ंजे रास्ते पर हुआ था।** इस घटना के बाबत सीओ साहब ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। **इन अभियुक्तगण के मारने से बायें हाथ पर पीठ पर तथा मुंह सूजा हुआ था और चोटे अंदरूनी आयी थीं। छंगुरी को कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी। अंदरूनी चोट आयी थी।**"

09. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सत्येन्द्र यादव, चक्षुदर्शी साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपनी **प्रति परीक्षा** में पेज संख्या–01 पर साक्ष्य दिया है कि घटना के समय पर अपने घर पर था। घटनास्थल से पश्चिम उसका घर है। घटनास्थल से वह अपने खेत में 10–15 कदम की दूरी पर था। जब शोर सुनकर मौके पर पहुंचा। पहली नजर में जब वह पहुंचा तो गाली–गुप्ता हो रहा था। जब मारपीट रहे थे वे लोग दर्द से चिल्ला रहे थे तब घटना को देखा। रामअवध व छंगुरी गिरे हुए थे। रामअवध को पीठ, हाथ, मुंह व पेट पर चोट लगी थी। छंगुरी के पैर, पीठ व पैर के घुटने तथा अंदरूनी चोट आदि लगी थी। पेज संख्या 02 पर साक्ष्य दिया है कि सबसे पहले मुल्जिमानों के अलावा वह पहुंचा उसके बाद वशिष्ठ यादव पहुंचे। जब वे लोग पहुंचे तब अभियुक्तगण दौड़कर बोझी की तरफ चले गये। हम लोग अपने घर चले गये। हम लोग न अस्पताल गये न थाने गये। शायद बी0पी0एल0 कार्ड को लेकर झगड़ा हुआ था। विद्युत यादव घटना के समय ग्राम प्रधान नहीं थे। वह स्वयं भी चुनाव नहीं लड़ा है और न ही किसी को चुनाव ही लड़ाया है। सीओ साहब उसके घर बयान लिये थे। घटना के 24–25 दिन बाद आये थे।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2017 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द को घटना के पूर्व से जानता–पहचानता है। घटना दिनांक 18.12.2007 की शाम समय सात बजे वह बाजार से घर जा रहा था जैसे ही **राजेन्द्र यादव** के खेत के पास पहुंचा तो खड़ंजे पर अभियुक्त उपरोक्त राम अवध व छंगुरी देवी को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लात–मुक्का से मारने लगे। छंगुरी व रामअवध के शोर पर वह व सत्येन्द्र जाकर बीच–बचाव किये। घटना उसके सामने घटित हुई

थी, जो उसने देखा है। वही बता रहा है। घटना के बाबत विवेचक को भी उसने बताया था। विद्युत यादव काफी सरकस आदमी है।"

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव, चक्षुदर्शी साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपनी **प्रति परीक्षा** में पेज संख्या–01 पर साक्ष्य दिया है कि वह घटना के बारे में महीना तथा तारीख नहीं जानता है, लेकिन ठण्ड का समय था। उस समय अंधेरा हो गया था। बोझी बाजार से वह घर जा रहा था। वहीं एक पेड़ है। गांव से 200 लट्ठे की दूरी पर घटनास्थल खण्ड़ंजा है। पेज संख्या 02 पर साक्ष्य दिया है कि जहां मारपीट हुई थी उसके पूरब खेत नहीं है, घर है। राजेन्द्र प्रधानी का चुनाव लड़े थे हार गये थे। एक बार जीते थे। चार बार हारे थे। वह विद्युत यादव को ग्राम प्रधानी के चुनाव में या किसी चुनाव में वोट कभी नहीं दिया।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–04/एफ0आई0आर लेखक हृदयानन्द पाण्डेय ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.2017 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "दिनांक 19.12.2017 को थाना घोसी में हेड मुहर्रिर के रूप में तैनात था। उस दिन समय 11:10 बजे वादी मुकदमा रामअवध की तहरीर पर मुल्जिमान विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बालमुकुन्द के विरूद्ध मु0अ0सं0–1052/2007 चिक संख्या–270/07 पर चिक किता किया, जो कागज संख्या 4क के रूप में शामिल पत्रावली है। उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–02** डाला गया। उक्त की कायमी उपरोक्त दिनांक एवं समय पर रपट संख्या 22 पर उसके द्वारा किया गया है, जो कागज संख्या 7क के रूप में शामिल पत्रावली है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–03** डाला गया। मुल जी0डी0 बादमियाद नष्ट किया गया है। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया है।"

13. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–04/एफ0आई0आर लेखक हृदयानन्द पाण्डेय ने न्यायालय के समक्ष अपनी **प्रति परीक्षा** में पेज संख्या–01 पर साक्ष्य दिया है कि यह कहना गलत हे कि उसने इन्द्राज जी0डी0 में एण्टीटाइम किया।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–05/चिकित्सक एच0के0 पंकज ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.10.2017 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "दिनांक 19.12.2017 को वह बतौर चिकित्साधिकारी सीएचसी घोसी पर तैनात था। चोटहिल रामअवध के शरीर पर आयी चोटों को डॉक्टरी मुआयना 12:15 पीएम पर किया, जिन्हें सीएचसी पर सुरेश मनी पाण्डेय होमगार्ड लेकर आये थे। मजरूब के शरीर पर आयी चोटों का विवरण निम्नवत् है :–

चोट संख्या–01 खरोंचदार चोट 08 गुणा 0.5 सेमी बायें ऊपरी बांह के केहुनी से 07 सेमी ऊपर रंग लाल।

चोट संख्या–02 खरोंचदार चोट 07 गुणा 05 सेमी बायीं तरफ ऊपर बांह में चोट संख्या 01 से 1.5 सेमी नीचे था।

चोट संख्या–03 सीने पर व सीने के पीछे दर्द की शिकायत।

चोट संख्या 01 व 02 किसी कुन्दालय से आयी थी, जो साधारण थी। चोट संख्या–03 के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त की जा सकती। चोट 24 घण्टे के अन्दर की थी।"

15. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–05/चिकित्सक एच0के0 पंकज ने न्यायालय के समक्ष अपनी **प्रति परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि मजरूब रामअवध के शरीर पर पट्टी बगैरह नहीं बंधी थी। छंगुरी देवी के शरीर पर कोई जाहिरा चोटें नहीं थीं। छंगुरी देवी के शरीर पर कोई खरोंच लगने का या खरोंच नहीं थी। चोटहिल रामअवध की चोटें गिरने से आ सकती हैं। चोटहिल की सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–06/तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सत्यम ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2022 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "वह दिनांक 20.12.2007 को बतौर क्षेत्राधिकारी घोसी जनपद मऊ में तैनात था और उसे अपराध संख्या–1052/2007 की विवेचना प्राप्त हुई और उसने दिनांक 20.12.2007 को मुकदमे की विवेचना प्रारम्भ किया। दिनांक 20.12.2007 को सर्व प्रथम केस डायरी में नकल रपट चिक का उल्लेख किया गया एवं उसी दिन घटना से संबंधित नकल रपट की जीडी का उल्लेख किया गया एवं मजरूबगण रामअवध व छंगुरी की इंजरी रिपोर्ट का उल्लेख केस डायरी में अंकित किया गया एवं बयान अंकित किया गया। वादी की निशानीदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी उसके बोलने व बताने पर उसके पेशकार के द्वारा उसके निर्देशन में तैयार की गयी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसको वह तस्दीक करता है, जो पत्रावली में कागज संख्या 9क शामिल मिसिल है, जिस पर **प्रदर्श क–04** डाला गया। इसी क्रम में दिनांक 13.01.2008 को साक्षीगण सत्येन्द्र यादव, वशिष्ठ यादव एवं एफआईआर लेखक हृदयानन्द पाण्डेय का बयान केस डायरी में अंकित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 18.01.2008 को माननीय उच्च न्यायलय के आदेश स्थगन दिनांक 15.01.2008 का उल्लेख केस डायरी में अंकित किया गया एवं अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द का बयान केस डारी में अंकित किया गया। मुकदमे की सम्पूर्ण विवेचना, साक्षीगण के बयान, नक्शा नजरी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पाते हुए आरोप पत्र संख्या 12/08 उसके बोलने व बताने पर उसके पेशकार के द्वारा उसके निर्देशन में तैयार किया गया, तैयार कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसको वह तस्दीक करता है, जो पत्रावली में कागज संख्या 3क शामिल मिसिल है, जिस पर **प्रदर्श क–05** डाला गया। इसी क्रम में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने के बाद पत्रावली में संबंधित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश न्यायालय में अलग से पूरक पर्चे के साथ प्रेषित किया गया, जिसको उल्लेख पत्रावली में पूरक पर्चा 01 कागज संख्या 10क/5 में किया गया है।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–06/तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सत्यम ने न्यायालय के समक्ष अपनी **प्रति परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि मुकदमा वादी का बयान विवेचना ग्रहण करने के तत्काल बाद ही लिया गया था इस समय दिनांक याद नहीं है। वादी का बयान सम्भवतः मौके पर लिया था। मुकदमा वादी का बयान छंगुरी देवी के साथ ही लिया था।

घटना के एक दिन बाद उसने वादी मुकदमा का बयान लिया था। रामअवध ने अपने बयान में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होना बताया था। सत्येन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव व बालमुकुन्द का बयान उसने लिया था। यह कहना गलत है कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था और न ही मौके पर जाकर नक्शा नजरी बनाया और न ही गवाहों का बयान लिया और फर्जी तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। मजरूब रामअवध के शरीर पर पट्टी बगैरह नहीं बंधी थी। छंगुरी देवी के शरीर पर कोई जाहिरा चोटें नहीं थीं। छंगुरी देवी के शरीर पर कोई खरोंच लगने का या खरोंच नहीं थी। चोटहिल रामअवध की चोटें गिरने से आ सकती हैं। चोटहिल की सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं।

18. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 09.08.2023 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक के बाबत कहा कि गलत व असत्य है, वादी व उसकी चचेरी बहन छंगुरी को उनके द्वारा बीपीएल कार्ड जांच कराने की बात को लेकर न गाली देते हुए लात–मुक्का से मारा–पीटा, न जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया, बेलभद्रपुर थाना घोसी में दिनांक 18.12.2007 को मारपीट नहीं हुई थी। साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत कहा कि इनका कथन पूरी तरह से असत्य, एवं झूठा व मनगढ़न्त है। रंजिशन एक तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के दबाव में झूठा व मनगढंत मुकदमा दर्ज कराया गया, राजनीति से प्रेरित होकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया जबकि इस साक्षी से अभियुक्तगण की मुलाकात ही नहीं है। न मारे–पीटे हैं, न अपमानित करने के उद्देश्य से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, न छंगुरी को धक्का देकर गिराया, न चमारिया–सियारिया ही कहा। साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत कहा कि सत्येन्द्र यादव से मेरा राजनीतिक विरोध होने के कारण झूठी एफआईआर प्रार्थी के विरूद्ध अपनी मद्दयत पर दर्ज करायी थी तथा उसी कारण झूठी व मनगढंत गवाही न्यायालय में दी है। किसी ने रामअवध व छंगुरी को मारा–पीटा नहीं। साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत कहा कि इनका कहना गलत व असत्य है। इनके भाई रामशीष ने विद्युत यादव के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखवाया है। वशिष्ठ से राजनैतिक विरोध है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–04 द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत गलत, कहा। साक्षी पी0डब्ल्यू0–05 द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत कहा कि जानकारी न होने के कारण असत्य है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–06 द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत कहा कि वादी व सत्ता के दबाव में गलत आरोप पत्र दाखिल किया गया व न्यायालय में झूठी गवाही दी गयी है। मुकदमा के बाबत रंजिशन व राजनैतिक विरोध के कारण चलना कहा। सफाई साक्ष्य के बाबत जी हां, कहा। अतिरिक्त कथन के रूप में कथन किया कि राजनैतिक व गवईं विरोध के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

19. तदुपरान्त अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले के समुचित निस्तारण हेतु साक्षी पी0डब्ल्यू0–05 चिकित्सक एच0के0 पंकज को पुनः साक्ष्य में परीक्षित कराये जाने की

प्रार्थना की गयी, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए साक्षी को साक्ष्य हेतु पुनः तलब किया गया।

20. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–05/चिकित्सक एच0के0 पंकज ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "वह दिनांक 19.12.2007 को बतौर चिकित्साधिकारी सी.एच.सी. घोसी जनपद मऊ पर तैनात था। उक्त दिनांक को चुटहैल **रामअवध** उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व. सम्पत, निवासी बेलभद्रपुर, थाना घोसी जनपद मऊ दिन में लगभग 12:15 बजे थाना घोसी जनपद मऊ के होमगार्ड नं. 3414 सुरेशमणि पाण्डेय मजरूब को लेकर अस्पताल आये। उसके द्वारा मजरूब का डॉक्टरी परीक्षण दिन में 12:15 पर प्रारम्भ किया। मजरूब का पहचान चिह्न दाहिनी तरफ गर्दन के हंसुली वाली हड्डी के 8 सेमी. नीचे काले तिल का निशान था, जिसको आघात आख्या पर अंकित किया तत्पश्चात मजरूब का डॉक्टरी परीक्षम प्रारम्भ किया, जिसमें मजरूब को निम्न चोटें पायी गयी–

चोट संख्या–01 खरोंचदार चोट 08 गुणा 0.5 सेमी बायें ऊपरी बांह के केहुनी से 07 सेमी ऊपर की तरफ चोट का निशान, जिसका रंग लाल था।

चोट संख्या–02 खरोंचदार चोट 07 गुणा 05 सेमी बायीं तरफ ऊपर बांह में चोट संख्या 01 से 1.5 सेमी नीचे की तरफ चोट का निशान था।

चोट संख्या–03 मजरूब ने सीने पर और सीने के पीछे दर्द की शिकायत बताया।

सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं, जो किसी कठोर व कुन्द वस्तु से पहुँचायी गयी थीं। चोटों की अवधि 24 घण्टे के अन्दर की थी। तत्पश्चात उसके द्वारा मजरूब का बायें हाथ का निशानी अंगूठा इंजरी आख्या पर लगवाया गया, जिसको उसके द्वारा प्रमाणित किया गया। मजरूब को आयी चोटें दिनांक 18.12.2007 की शाम लगभग 07 बजे की हो सकती हैं। साक्षी को कागज संख्या 8क1 दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि उपरोक्त इंजरी रिपोर्ट उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसको वह तस्दीक व प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–06** डाला गया।

इसी क्रम में उसी दिन दिनांक 19.12.2007 को समय लगभग 12 बजे दिन में मजरूबा **छंगुरी देवी**, उम्र लगभग 55 वर्ष, पत्नी स्व. पथिराज, निवासी बेलभद्रपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ को घायल अवस्था में थाना घोसी जनपद मऊ के होमगार्ड नं. 3414 सुरेशमणि पाण्डेय द्वारा लेकर अस्पताल आये। उसके द्वारा मजरूबा का डॉक्टरी परीक्षण कराने के दौरान आघात आख्या पर बाये आंख के ऊपर बरौनी पर उभरा हुआ काले तिल का निशान पाया गया, जिसको आघात आख्या पर अंकित किया और मजरूबा का ड़ॉक्टरी परीक्षण प्रारम्भ किया, जिसमें निम्न चोटें पायी गयी –

चोट संख्या–01 मजरूबा द्वारा पीठ में व कमर में दर्द की शिकायत बतायी गयी।

चोट संख्या–02 मजरूबा द्वारा दोनों घुटनों में दर्द की शिकायत बतायी गयी, जिसमें बायें घुटने में ज्यादा दर्द की शिकायत बतायी गयी।

मजरूबा के शरीर पर चोट नं. 1 व 2 में कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी। तत्पश्चात आघात आख्या पर मजरूबा का दाहिने अंगूठे का निशान उसके द्वारा लगवाया गया और उसको उसके द्वारा प्रमाणित किया गया, जिसको वह तस्दीक करता है। साक्षी को कागज सं. 8क2 आघात आख्या दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि उपरोक्त मेडिकल लीगल उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसको वह तस्दीक व प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–07** डाला गया।"

21. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–05 / चिकित्सक एच0के0 पंकज ने न्यायालय के समक्ष अपनी **प्रति परीक्षा** में साक्ष्य दिया है कि चोटहिल जो पुरूष था उसको पैर में चोट नहीं लगी थी। ये चोटें गिरने से नहीं आ सकती हैं। खरोंच वाली चोट जाहिरा थी। महिला को जो चोट थी वह जाहिरा चोट नहीं थी। दोनों चोटहिलों को जो चोटें आयी थीं वे 24 घण्टा के अन्दर की थी। पुरूष को जो दो चोटें खरोंच वाली आयी थी, वे रंग में लाल थी ये चोटें कठोर और कुन्द वस्तु से आ सकती हैं। यह कहना गलत है कि वह उच्चाधिकारियों के दबाव में मुल्जिमानों के विरूद्ध गलत बयान दे रहा है।

22. अंतिम रूप से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 03.07.2024 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक के बाबत कहा कि यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण द्वारा कतई मुकदमा वादी रामअवध राम व उसकी चचेरी बहन छंगुरी देवी को गाली–गुप्ता दिया गया, न ही लात–मुक्का से मारे–पीटे और न ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किये। साक्षी पी0डब्ल्यू0–05 द्वारा दिये गये साक्ष्य के बाबत कहा कि कुछ नहीं कहना है, डॉक्टरी मुआयना राजनैतिक दबाव में कराया गया। मुकदमा के बाबत रंजिशन व राजनैतिक विरोध के कारण चलना कहा। सफाई साक्ष्य के बाबत जी हां, कहा। अतिरिक्त कथन के रूप में कथन किया कि राजनैतिक व गवईं राजनीति विरोध के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

23. **बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी डी0डब्ल्यू0–01 शम्भुनाथ प्रसाद निजी चिकित्सक** ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "वह नेशनल नर्सिंग होम ब्रहम्स्थान सहादतपुरा मऊ में चिकित्सीय कार्य करता है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–166क, जो उसकी हेड राईटिंग में है। उसके अस्पताल पर दिनांक 16.12.2007 को राजेन्द्र यादव पुत्र रामधारी यादव ब्लॉक रोड परदह मऊ दिनांक 16.12.2007 को समय सुबह 10:30 बजे उसके अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में पेट दर्द, तेज बुखार से ग्रसित थे। उसने उन्हें अपने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। मरीज राजेन्द्र दिनांक 16.12.2007 को सुबह 10:30 बजे से दिनांक 20.12.2007 तक भर्ती रहे। उसने उनका दवा इलाज किया, जो स्वस्थ होकर दिनांक 20.12.2007 को अस्पताल से चले गये।"

24. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी डी0डब्ल्यू0–01 शम्भुनाथ प्रसाद निजी चिकित्सक से न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि कागज संख्या 166क जो पत्रावली में शामिल है उस पर कोई रजिस्ट्रेशन व सन्

नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सन 2011 से रजि0 का कार्य शुरू हुआ है। कागज संख्या 166क के समर्थन में उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि यह बहुत पुरान मामला है। रिकॉर्ड संबंधित कागजात छः साल तक हम रखते हैं उसके बाद का रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता है। एक नाम का दो व्यक्ति व दो पता हो सकते हैं। राजेन्द्र प्रसाद बेलभद्रपुर घोसी के रहने वाले हैं कि नहीं वह नहीं बता सकता। वह नहीं बता सकता कि डिस्चार्ज स्लिप 166क पर भर्ती मरीज का पता ब्लॉक रोड परदह है।

25. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी डी0डब्ल्यू0–02 रमेश राय ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "उसके पिता की मृत्यु दिनांक 18.12.1990 में हुई थी। वह अपने पिता जी की प्रतिवर्ष पुण्यतिथि मनाता है तथा अपने गाँव देहात के दोस्त मित्र व रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराता है। दिनांक 18.12.2007 को भी वह अपने पिता की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा था, जिसमें वह **विद्युत यादव** पुत्र स्व0 रामधारी यादव साकिन बेलभद्रपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ को भी आमंत्रित किया था। विद्युत यादव अपने ड्राइवर **बालमुकुन्द यादव** पुत्र बिंदश्वरी, साकिन खंतिया, थाना घोसी, जनपद मऊ के साथ हमारे घर दिनांक 18.12.2007 को समय लगभग सायं 05:30 से 06:00 बजे के बीच पहुँचे तथा उसके घर पर रात्रि 09:30 बजे तक अपने ड्राइवर के साथ रहे तथा भोजन आदि करने के बाद अपने घर के लिए निकले थे।"

26. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी डी0डब्ल्यू0–02 रमेश राय से न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि उसके पिता की मृत्यु घर पर हुई थी। उसके पिता की मृत्यु का निमंत्रण छपा था और विद्युत यादव के पिता स्व0 रामधारी यादव से उसके पिता की दोस्ती थी और उस समय विद्युत यादव ब्लाक प्रमुख थे इसी नाते उसने उनको पिता जी के पुण्यतिथि का कार्ड दिया था। **विद्युत यादव उसके मित्र या दोस्त नहीं हैं, जिस समय उसके पिता की पुण्यतिथि थी उस समय सिर्फ ब्लाक प्रमुख होने के नाते उसने उनको निमंत्रण दिया था।** विद्युत यादव उसके घर 05:30 से 06:00 बजे के बीच पहुंचे थे। उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना था और शवदाह दोहरीघाट पर हुआ था जहाँ से कोई शवदाह मृत्यु प्रमाण पत्र उसे नहीं मिला। परिवार रजिस्टर की नकल में उसके पिता की मृत्यु दिनांक 18.12.1990 दर्ज है। **वह अपने पिता की मृत्यु से सम्बन्धित परिवार रजिस्ट्रर की नकल न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकता, जिसमें उसके पिता की मृत्यु का दिनांक 18.12.1990 दर्ज है। वह अपने पिता की मृत्यु से सम्बन्धित कोई कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकता। उसके पिता की मृत्यु से सम्बन्धित यदि उसके पास कोई कागजात घर पर उपलब्ध होगा तो वह उसे न्यायालय में दाखिल कर देगा।** वह पिछले साल का अपने पिता की पुण्यतिथि का कार्ड नहीं दे सकता, आगे मनाउंगा तो दे देगा। वह अपने पिता की पुण्यतिथि से सम्बन्धित कोई फोटो नहीं खिंचवाता है। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र 60 वर्ष थी और वह छोटा था इसलिए कोई फोटो नहीं खींची गयी थी। उसकी जन्मतिथि 01.01.1970 है। उसके पिता की मृत्यु के समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी। वह साक्षर है।

27. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 व बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्यों के उपरान्त पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। पक्षकारगण मय विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अधोलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं :–

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले में घटना दिनांक 18.12.2007 को समय करीब 07:00 बजे शाम की बतायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.12.2007 को 11:10 बजे पंजीकृत करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण अभियोजन द्वारा नहीं बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विचार–विमर्श करके सोची–समझी रणनीति के तहत दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा व अभियुक्त विद्युत यादव के मध्य चुनाव की रंजिश थी, जिसमें वादी मुकदमा पक्ष का राजेन्द्र यादव प्रधानी के चुनाव में विद्युत यादव के पक्ष से हार गया था और इसी रंजिश को लेकर रंजिशन अभियुक्तगण को मामले में झूठा फंसाते हुए अभियुक्त बना दिया गया है **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि अभियुक्त विद्युत यादव बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसकी शासन में ऊपर तक पहुंच है और यह अभियुक्त घटना के समय ब्लॉक प्रमुख था, जिस कारण राजनीतिक प्रभाव के कारण घटना दिनांक को वादी मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं हो पायी। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व छंगुरी देवी के साथ मारपीट की घटना कारित की गयी इसीलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध तहरीर लिखकर थाने पर दी गयी थी, जिससे कि चुनावी रंजिश का कोई लेना–देना नहीं है।

29. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सी0ओ0 साहब उसका बयान घटना के 10–15 दिन बाद लिये थे जबकि घटना के अगले दिन विवेचक घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे थे और साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध व छंगुरी देवी का साक्ष्य लिये थे। इस प्रकार धारा–161 का बयान दिये जाने के संबंध में भी इस साक्षी के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है और यह साबित होता है कि अभियुक्तगण को मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि विवेचक द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध व छंगुरी देवी के साक्ष्य लिये जाने के संबंध में साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध के साक्ष्य में कुछ विरोधाभास है, किन्तु वह इस स्तर का नहीं है कि यह मान लिया जाये कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व छंगुरी देवी के साथ किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य कारित ही नहीं किया गया केवल इसी साक्ष्य के विरोधाभास के आधार पर अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य नहीं हैं।

30. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि घटनास्थल न तो सिद्ध है और न स्थिर है, क्योंकि वादी मुकदमा ने तहरीर में कहा है कि घटना सत्येन्द्र यादव के ट्यूबेल के मोड़ के पास हुई थी, किन्तु नक्शा नजरी में ट्यूबेल को दर्शाया नहीं गया है न ही घटनास्थल से ट्यूबेल की दूरी को दर्शाया गया है और न दिशा दर्शायी गयी है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटनास्थल बोझी बाजार व घर से एक किमी की दूरी

पर है और साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटनास्थल गांव से 200 लट्ठा की दूरी पर है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जहां मारपीट हुई थी उसके पूरब खेत नहीं घर है, साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य में कहा है कि पूरब लक्ष्मी यादव का खेत है और पश्चिम सत्येन्द्र यादव का खेत है और साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सत्येन्द्र यादव ने अपने साक्ष्य में कहा हे कि घटनास्थल से पश्चिम उसका घर है। इस प्रकार इन साक्षीगण के साक्ष्य घटना को संदेहास्पद साबित करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकार की कोई घटना कारित ही नहीं की गयी हैं **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि यदि नक्शा नजरी में विवेचक द्वारा सत्येन्द्र यादव के ट्यूबेल, घटनास्थल से ट्यूबेल की दूरी व दिशा को दर्शाया नहीं गया है तो इसमें वादी मुकदमा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वादी मुकदमा ने विवेचक को घटनास्थल के बारे में सब कुछ सही–सही बताया गया था। जहां तक मामले में साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने घटनास्थल बोझी बाजार व घर से एक किमी की दूरी पर व साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने घटनास्थल गांव से 200 लट्ठा की दूरी तथा घटनास्थल के चारों दिशाओं में किस का खेत / घर है, का प्रश्न है तो प्रश्नगत मामले में यह महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि घटनास्थल की दूरी घर व बाजार से कितनी थी और घ टनास्थल के किस दिशा में क्या था बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व छंगुरी देवी के साथ कोई आपराधिक कृत्य किया है या नहीं जबकि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने को साक्षीगण ने अपने साक्ष्यों में स्पष्ट किया है।

31. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि वादी मुकदमा ने कहा है कि अभियुक्तगण उसे उसे व छंगुरी देवी को इसलिए मारे, क्योंकि उन्होंने बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में विद्युत यादव के विरूद्ध शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी, जबकि बी0पी0एल0 कार्ड के लिए आवेदन जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष होता है और जिसकी जांच सेक्रेटरी द्वारा की जाती है जबकि बी0पी0एल0 कार्ड भूमिहीन को मिलता है। प्रश्नगत मामले में हेतुक / मोटिव के संबंध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य नहीं है और घटना के समय विद्युत यादव ग्राम प्रधान नहीं था, बल्कि ब्लॉक प्रमुख था **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि जब वादी मुकदमा ने बी0पी0एल0 कार्ड न बनाये जाने की शिकायत एस0डी0एम0 से की थी तो इसी बात पर अभियुक्त विद्युत यादव चिढ़ गया था और जब वादी मुकदमा अपनी चचेरी बहन के साथ अपने घर आ रहा था तो उनको मार–पीटकर घायल कर दिया। मामले में घ टना का हेतुक / मोटिव बिल्कुल स्पष्ट है जो कि बी0पी0एल0 कार्ड न बनाये जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था।

32. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक को सत्येन्द्र उसके साथ था और दो–चार लट्ठे पीछे था जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सत्येन्द्र ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय वह अपने घर पर था। साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह बाजार से घर जा

रहा था, परन्तु इसका कोई जिक्र प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी के बयान में नहीं है। इस प्रकार घटनास्थल पर इन साक्षीगण की उपस्थिति विश्वसनीय नहीं है, जो कि घटना को बिल्कुल झूठा इंगित करते हैं **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सत्येन्द्र ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह शारे सुनकर मौके पर पहुंचा था। जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकन नहीं है कि, जैसा कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह बाजार से घर जा रहा था, तो यह तथ्य बहुत महत्तवपूर्ण है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी घटना को कारित किये जाने के तथ्यों की सूक्ष्म सूचना मात्र होती है, जिसमें केवल घटना से संबंध कुछ महत्तवपूर्ण तथ्यों को लेखबद्ध किया जाता है और घटना से संबंधित सूक्ष्म–से–सूक्ष्म बात दौरान विवेचना व साक्षीगण के साक्ष्यों से निकलकर आती है।

33. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार लोगों को अभियुक्त बनाया गया है जबकि अभियुक्त बालमुकुंद खंतिया का रहने वाला है उसका शेष अभियुक्तगण से कोई लगाव नहीं है वह घटना में शामिल हुआ इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त विद्युत यादव का नाम नहीं लिया है, जो कि एक बड़ा विरोधाभास है जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 व 03 ने विद्युत यादव का भी नाम लिया है। कथित घटना दिनांक को अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित ही नहीं थे इस तथ्य को साक्षी डी0डब्ल्यू0–01 निजी चिकित्सक शम्भुनाथ प्रसाद व साक्षी डी0डब्ल्यू0–02 रमेश राय ने अपने साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि अभियुक्त बालमुकुन्द अभियुक्त विद्युत यादव का ड्राईवर था, जो घटना के समय घटना कारित किये जाने में मौजूद था। साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्यों में कहा है कि घटना कारित करने वाले चार लोग थे, जिनमें से तीन अभियुक्त का नाम उसने अपने साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से लिया है तथा विद्युत यादव के बारे में कहा है कि चार अभियुक्त घटना कारित किये, जिनमें से स्पष्ट रूप से चौथा नाम अभियुक्त विद्युत यादव का ही था और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी नामजद चार अभियुक्त विद्युत यादव व 03 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी थी। साक्षी डी0डब्ल्यू0–01 निजी चिकित्सक शम्भुनाथ प्रसाद फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चला रहा था, जिसका कि कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र उसके पास नहीं था न ही राजेन्द्र प्रसाद की चिकित्सा का कोई रिकॉर्ड ही उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। साक्षी डी0डब्ल्यू0–02 रमेश राय ने अपने साक्ष्य की प्रति परीक्षा में स्वयं स्वीकार किया है कि उसके पिता अभियुक्त विद्युत यादव के अच्छे दोस्त थे और वह अभियुक्त विद्युत यादव को ब्लॉक प्रमुख होने के नाते निमंत्रण दिया था।

34. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का कोई भी अपराध नहीं बनता है, क्योंकि वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में कहीं भी अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किये जाने का उल्लेख नहीं किया है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट, साक्ष्य अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0

में ऐसा कोई साक्ष्य है, जिससे कि साबित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा जाति विशेष जानकर साशय अपमानित करने हेतु जाति सूचक गालियों का प्रयोग किया गया हो। केवल साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में गाली चमारिया मादरचोद की देना कहा है तथा साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने भी अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में केवल चमारिया साला की गाली देना कहा है, परन्तु ऐसा कोई बयान पूर्व में नहीं दिया गया है। प्रथम बार न्यायालय में कहा गया है, जो अभिवृद्धि की श्रेणी में आयेगा और साक्षी विश्वसनीय नहीं रह जायेगा। विधि–निर्णय दया भटनागर व अन्य बनाम स्टेट दिल्ली 109(2004) DLT915 के अवलोकन से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट का अपराध नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा इस तथ्य को साबित नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की नजीर अकरम फारूकी उर्फ चुनमुन बनाम उ0प्र0 राज्य तथा धर्मेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य भी अवलोकनीय हैं **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण कहे कि साले बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में जांच कराया है और कहे कि चमारियो–सियारियो काहे जांच कराये हो और साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अभियुक्तगण गाली चमारिया मादरचोद की दिये। जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित न करने का प्रश्न है तो यह तथ्य बहुत महत्तवपूर्ण है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी घटना को कारित किये जाने के तथ्यों की सूक्ष्म सूचना मात्र होती है, जिसमें केवल घटना से संबंध कुछ महत्तवपूर्ण तथ्यों को लेखबद्ध किया जाता है और घटना से संबंधित सूक्ष्म–से–सूक्ष्म बात दौरान विवेचना व साक्षीगण के साक्ष्यों से निकलकर आती है और चोटहिल छंगुरी देवी ने अपने धारा–161 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किये जाने का साक्ष्य दिया है और बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में जो विधि–निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं उनके तथ्य व इस मामले के तथ्य भिन्न–भिन्न होने के कारण वे इस मामले में लागू नहीं होती हैं।

35. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि चोटहिलगण को आयी चोटों के संबंध में चोटहिलगण के साक्ष्य व चिकित्सक द्वारा दिये गये साक्ष्य बिल्कुल विरोधाभासी हैं, जो कि चोटहिलगण को आयी चोटों को संदेहयुक्त साबित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान में वादी मुकदमा ने यह उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है और न ही यह स्पष्ट है कि किस अभियुक्त द्वारा कौन–कौन सी गाली दी गयी। इस संबंध में घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण में भी गम्भीर विरोधाभास है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था मोहम्मद वाजिद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्यव अन्य फौजदारी अपील संख्या 2340 / 2023 व स्वर्ण सिंह व अन्य बनाम स्टेट थ्रू स्टैण्डिंग कांउसिल व अन्य और हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ट राज्य फौजदारी अपील संख्या 707 / 2020 भी अवलोकनीय है **जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है** कि वादी मुकदमा व छंगुरी देवी को चोटे आयी हैं, जिनकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न चिकित्सीय प्रपत्रों से होती है और जहां तक प्रथम सूचना

रिपोर्ट व धारा–161 दं0प्र0सं0 में अभियुक्तगण द्वारा किन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गुप्ता देने का प्रश्न है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी घटना को कारित किये जाने के तथ्यों की सूक्ष्म सूचना मात्र होती है, जिसमें केवल घटना से संबंध कुछ महत्तवपूर्ण तथ्यों को लेखबद्ध किया जाता है। बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में जो विधि–निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं उनके तथ्य व इस मामले के तथ्य भिन्न–भिन्न होने के कारण वे इस मामले में लागू नहीं होती हैं।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त व अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

36. अब न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों का गहनता से विशलेषण कर यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व चोटहिल छंगुरी देवी को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा गया व जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया बोलकर अपमानित किया गया है अथवा नहीं ?

37. प्रस्तुत मामले में निर्णयन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–354(1)(ख) के अंतर्गत विनिश्चय हेतु निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु/प्रश्न विरचित किये जाते हैं :–

(i). क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व चोटहिल छंगुरी देवी को मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी ?

(ii). क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व चोटहिल छंगुरी देवी को गाली–गुप्ता दी गयी ?

(iii). क्या अभियुक्तगण वादी मुकदमा व चोटहिल छंगुरी देवी को जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किया गया ?

38. प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या अभियोजन उपरोक्त विनिश्चय हेतु अवधारणीय बिन्दुओं/प्रश्नों के आधार पर मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

39. (i). क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व चोटहिल छंगुरी देवी को मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी ?

(1). वादी मुकदमा/साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने **तहरीर प्रदर्श क–01/कागज संख्या–5क में कहा है कि** घटना दिनांक 18.12.2007 को समय 07:00 बजे शाम को जब वह तथा उसकी चचेरी बहन छंगुरी देवी बोझी बाजार से घर लौट रहे थे तो रास्ते में विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव पुत्रगण रामधारी यादव, बृजेश यादव पुत्र इन्द्रजीत ग्राम बेलभद्रपुर व बालमुकुन्द यादव पुत्र बिंदेश्वरी ग्राम खंतिया थाना घोसी मिले और कहे कि बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में जांच कराया है और **गाली देने लगे, जिसका विरोध उसकी चचेरी बहन ने किया, जिसको धक्का देकर गिरा दिये तथा वादी मुकदमा को लात–मुक्का व घूसा से मारने लगे।** शोर पर गांव के सतेन्द्र यादव पुत्र श्रीरामाधार यादव व वशिष्ठ यादव पुत्र तपसी यादव आ गये, जिन्होंने मौके पर बीच–बचाव किया। यह घटना सतेन्द्र यादव के ट्येबल के मोड़ के पास हुई।

(2). वादी मुकदमा/साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 18.12.2007 की शाम सात बजे वह अपनी बहन झुमरी उर्फ झिंगुरी के साथ बोझी बाजार से घर लौट रहा था कि रास्ते में राजेन्द्र, बालमुकुंद, बृजेश मिले और कहे कि साले बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में जांच कराया है और कहे कि चमारियो–सियारियो काहे जांच कराये हो। यह कहकर उसकी बहन को धक्का देकर गिरा दिये। उसे दो–तीन जगह चोट आयी। दोनों बांह में चोट आयी थी तथा सीने में दर्द था। हम लोगों का डॉक्टरी सरकारी अस्पताल में हुआ था। मुल्जिमान के मारने पर उसने शोर किया। बीच–बचाव करने उसके गांव के सतेन्द्र यादव व वशिष्ठ आये। सी0ओ0 साहब ने उसका बयान लिया था। उसने उनको मौका दिखाया था। मुल्जिमान हमें बोझी से बलभद्रपुर और बलभद्रपुर से बोझी जाने वाले रास्ते पर राजेन्द्र यादव के खेत के पूरब तरफ मारे थे।

(3). वादी मुकदमा साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य की प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि उसका लड़का सुरेश बी0पी0एल0 कार्डधारक है और उसने भी बी0पी0एल0 कार्ड बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु उसका बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बना। इसकी शिकायत उसने किसी से नहीं किया। हां उसने शिकायती प्रार्थना पत्र एस0डी0एम0 को दिया था, पत्र की जांच किसने किया वह नहीं बता सकता। **उसने विद्युत यादव के विरूद्ध एस0डी0एम0 को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। जब वह बोझी बाजार से वापस आ रहा था तो उसके साथ उसकी चचेरी बहन छंगुरी थी।** जो शिकायती प्रार्थना पत्र उसने विद्युत यादव के खिलाफ बी0पी0एल0 कार्ड हेतु दिया था उस समय विद्युत यादव गांव के प्रधान थे। **जिस समय उसके ऊपर हमला हुआ था उस समय अंधेरा हो गया था।** पेज संख्या–05 पर साक्ष्य दिया है कि उसके ऊपर हमला दक्षिण दिशा से हुआ। **उसे लात–मुक्का व घूसे से मुल्जिमान मारे। उसे बायें बांह पर दो जगह व पीठ में दर्द था। पीठ में भी मारे थे। इसके अलावा कहीं भी नहीं मारे–पीटे थे। उसकी बहन छंगुरी को भी चोट लगी थी। छंगुरी को चोट घुटने में लगी थी और घुटने के चीने लगी थी। इसके अलावा अन्य किसी जगह शरीर पर चोट नहीं लगी थी।** डॉक्टरी मुआयना हुआ था। घटनास्थल के उत्तर सत्येन्द्र यादव का ट्यूबेल है। दक्षिण रास्ता है। पूरब खेत है लक्ष्मी यादव का है। पश्चिम सत्येन्द्र यादव का खेत है। मुल्जिमान उसे लाठी–डण्डा व ईंट के टुकड़े से नहीं मारे–पीटे थे। बोझी बाजार 04:00 बजे गया था 06:30 बजे वापस आया। बाजार में छंगुरी उसके साथ थी। छंगुरी उसकी चचेरी बहन है। उसके आगे सेवक, पीछे वशिष्ठ यादव, सत्येन्द्र थे। दो–चार लट्ठा सत्येन्द्र पीछे थे। हल्ला सुनकर आ गये। घटनास्थल बाजार व घर से एक किमी है। दरखास्त विद्युत के खिलाफ दिया था। विद्युत ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान के नाते सभी लोग साथ में थे। पेज संख्या 07 पर साक्ष्य दिया है कि वह चुनाव मेम्बरी का लड़ा था। इसमें विद्युत प्रधान हुआ, वह मेम्बर हुआ गया। विद्युत के खिलाफ राजेन्द्र यादव चुनाव लड़े थे, हार गये। उसे मेम्बरी राजेन्द्र ने लड़ाया था। **मारने से चोट लगने पर खून नहीं गिरा था। लात–घूसा से मारे वह गिर गया। चोट बायें बांह, सीने में व पीठ में दर्द था। कुल तीन चोट लगी थी।** डण्डा बगैरह से नहीं मारे थे। **सब लोग मिलकर चारों लोग मारे।** वह यह नहीं बता सकता कि कौन कितना मारा। वह

दाहिने गिरा था। पेज संख्या 08 पर साक्ष्य दिया है कि छंगुरी को दो चोट लगी थी। धक्का देकर गिरा दिये थे। छं**गुरी को चारों लोगों ने मारा–पीटा। छंगुरी का कट–फट गया था, खून गिरा था। उसका व छंगुरी का डॉक्टरी मुआयना साथ में हुआ था।** दारोगा जी सी0ओ0 साहब आये थे 10–15 दिन बाद घटना के आये थे। घटना की मौजूदगी उत्तर सतेन्द्र ट्यूबेल, दक्षिण सड़क कच्ची, पूरब लक्ष्मी का खेत व पश्चिम सत्येन्द्र का खेत है।

इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त कथनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मामले में प्रश्नगत मामले में घटना का **हेतुक / मोटिव था** वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त विद्युत यादव के विरूद्ध **शिकायती प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत करना, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त विद्युत यादव ने वादी मुकदमा व उसकी चचेरी बहन छंगुरी देवी को जब वे बोझी बाजार से अपने घर आ रहे थे सतेन्द्र यादव के ट्यूबेल के मोड़ के पास गाली–गुप्ता दिये जब वादी मुकदमा की चचेरी बहन ने गाली–गुप्ता देने का विरोध किया तो चचेरी बहन को धक्का देकर गिरा दिये, जिस कारण उसके शरीर में चोट आ गयी तथा वादी मुकदमा को लात–मुक्का व घूसा से मारे–पीटे। शोर सुनकर मौके पर सतेन्द्र यादव व वशिष्ठ यादव आये, जिन्होंने बीच–बचाव किया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कहा है कि रास्ते में राजेन्द्र, बालमुकुंद, बृजेश मिले थे। सब लोग मिलकर चारों लोग मारे। छंगुरी को चारों लोगों ने मारा–पीटा। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में चारों अभियुक्तगण को घटना में संलिप्त होना कहा गया, इसकी सम्पुष्टि तहरीर प्रदर्श क–01 से भी होती है। इस साक्षी ने अभियुक्त राजेन्द्र, बालमुकुंद व बृजेश के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है और बाकी शेष अभियुक्त विद्युत यादव के संबंध में कहा है कि चारों मिलकर मारे अर्थात् चौथा अभियुक्त विद्युत यादव था। दौरान विचारण चोटहिल छंगुरी देवी की मृत्यु हो चकी है। अर्थात् इस साक्षी द्वारा तहरीर, मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में दिये गये साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण जो कि संख्या में चार थे वादी मुकदमा व छंगुरी देवी को लात–मुक्का से मारे–पीटे, जिस कारण उसे चोटें आयीं। मौखिक साक्ष्यों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्यों से होती है।

(4). साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सतेन्द्र यादव ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 18.12.2007 को समय सात बजे शाम की है। रामअवध व छंगुरी देवी के शोर पर वह घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव तथा बालमुकुन्द आदि लोग रामअवध व छंगुरी को मार रहे थे तथा हाथ पांव से मार रहे थे। मौ**के पर उसके अलावा वशिष्ठ यादव आ गये। उन्होंने भी बीच–बचाव किया। उसके बाद ये लोग बोझी की तरफ चले गये। **घटना उसके ट्यूबेल से दक्षिण–पूर्व खण्ड़ंजे रास्ते पर हुआ था। इन अभियुक्तगण के मारने से बायें हाथ पर पीठ पर तथा मुंह सूजा हुआ था और चोटे अंदरूनी आयी थीं। छंगुरी को कोई जाहिरा चोट नहीं आयी थी। अंदरूनी चोट आयी थी।**

(5). साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सतेन्द्र यादव ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना के समय पर अपने घर पर था। घटनास्थल से पश्चिम उसका घर है। घटनास्थल से वह अपने खेत में 10–15 कदम की दूरी पर था। जब शोर सुनकर मौके पर पहुंचा। पहली नजर में जब वह पहुंचा तो गाली–गुप्ता हो रहा था। जब मारपीट रहे थे वे लोग दर्द से चिल्ला रहे थे

तब घटना को देखा। रामअवध व छंगुरी गिरे हुए थे। रामअवध को पीठ, हाथ, मुंह व पेट पर चोट लगी थी। छंगुरी के पैर, पीठ व पैर के घुटने तथा अंदरूनी चोट आदि लगी थी। <u>पेज संख्या 02 पर साक्ष्य दिया है कि</u> सबसे पहले मुल्जिमानों के अलावा वह पहुंचा उसके बाद वशिष्ठ यादव पहुंचे। जब वे लोग पहुंचे तब अभियुक्तगण दौड़कर बोझी की तरफ चले गये। शायद बी0पी0एल0 कार्ड को लेकर झगड़ा हुआ था।

इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त कथनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह साक्षी घटनास्थल पर शोर सुनकर पहुंचा था और इस साक्षी ने देखा कि **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव तथा बालमुकुन्द आदि लोग रामअवध व छंगुरी को हाथ पांव से मार रहे थे। घटना उसके ट्यूबेल से दक्षिण–पूर्व खण्ड़ंजे रास्ते पर हुआ था और प्रति परीक्ष में भी इस साक्षी ने साक्ष्य दिया है कि वह शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था और देखा कि ये अभियुक्तगण मार–पीट रहे थे और वे लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। अर्थात् यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण घटना को अपनी आंखों से देखा गया।** इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में दिये गये साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण वादी मुकदमा व छंगुरी देवी को लात–मुक्का से मारे–पीटे।

(6). साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने <u>मुख्य परीक्षा</u> में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 18.12.2007 की शाम समय 07:00 बजे जब वह बाजार से घर जा रहा था और जैसे ही **राजेन्द्र यादव** के खेत के पास पहुंचा तो देखा कि खड़ंजे पर अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द राम अवध व छंगुरी देवी को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लात–मुक्का से मारने लगे। छंगुरी व रामअवध के शोर पर वह व सत्येन्द्र जाकर बीच–बचाव किये। घटना उसके सामने घटित हुई थी, जो उसने देखा है।

(7). साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 वशिष्ठ यादव ने <u>प्रति परीक्षा</u> में साक्ष्य दिया है कि **घटना के समय** अंधेरा हो गया था। बोझी बाजार से वह घर जा रहा था। वहीं एक पेड़ है। गांव से 200 लट्ठे की दूरी पर घटनास्थल खण्ड़ंजा है। जहां मारपीट हुई थी उसके पूरब खेत नहीं है, घर है। राजेन्द्र प्रधानी का चुनाव लड़े थे हार गये थे। एक बार जीते थे। चार बार हारे थे। वह विद्युत यादव को ग्राम प्रधानी के चुनाव में या किसी चुनाव में वोट कभी नहीं दिया।

इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त कथनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह साक्षी भी प्रश्नगत घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है और यह साक्षी भी शोर सुनकर मौके पर घटनास्थल पर पहुंचा था और जब यह साक्षी मौके पर पहुंचा तो देखा कि अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द राम अवध व छंगुरी देवी को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लात–मुक्का से मारने लगे अर्थात् इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुकतगण वादी मुकदमा व छंगुरी देवी को लात–मुक्का से मारे–पीटे।

(8). साक्षी पी0डब्ल्यू0–05 चिकित्सक माधुरी सिंह ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसने चोटहिलगण रामअवध व छंगुरी देवी की चोटों का मुआयना किया था और इस साक्षी ने चोटहिल रामअवध की चिकित्सीय आख्या कागज संख्या 8क को बतौर प्रदर्श क–06 व

चोटहिल छंगुरी देवी की चिकित्सीय आख्या कागज संख्या 7क को बतौर प्रदर्श क–07 साबित किया है तथा चोटहिल रामअवध को निम्न चोटें आना अंकित किया है:–

चोट संख्या–01 खरोंचदार चोट 08 गुणा 0.5 सेमी बायें ऊपरी बांह के केहुनी से 07 सेमी ऊपर की तरफ चोट का निशान, जिसका रंग लाल था।

चोट संख्या–02 खरोंचदार चोट 07 गुणा 05 सेमी बायीं तरफ ऊपर बांह में चोट संख्या 01 से 1.5 सेमी नीचे की तरफ चोट का निशान था।

चोट संख्या–03 मजरूब ने सीने पर और सीने के पीछे दर्द की शिकायत बताया।

चोटहिल छंगुरी देवी को निम्न चोटें आना अंकित किया है:–

चोट संख्या–01 मजरूबा द्वारा पीठ में व कमर में दर्द की शिकायत बतायी गयी।

चोट संख्या–02 मजरूबा द्वारा दोनों घुटनों में दर्द की शिकायत बतायी गयी, जिसमें बायें घुटने में ज्यादा दर्द की शिकायत बतायी गयी।

विधि–निर्णय **अंजनी चौधरी बनाम बिहार राज्य (2011)1 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 887** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि "अभियुक्त जिसके कृत्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, वह दोषसिद्ध होने योग्य है तथा अभियुक्त जिसके कृत्यों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है, वह दोषमुक्त होने योग्य है।

(9.) प्रश्नगत मामले में वादी मुकदमा/चोटहिल जो कि मामले में बतौर साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 परीक्षित हुआ है, ने अपने साक्ष्यों से अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द द्वारा घटना दिनांक 18.12. 2007 को लात–मुक्का से मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किये जाने की घटना को साबित किया है और अभियुक्तगण द्वारा मार–पीट किये जाने की घटना का समर्थन घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 सतेन्द्र यादव व साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव द्वारा भी अपने साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से किया गया है। मौखिक साक्ष्यों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्यों से होती है, जिसमें कि चोटहिल रामअवध को 03 व चोटहिल छंगुरी देवी को 02 चोटों के संबंध में शिकायत का अंकन है। *प्रश्नगत* मामले में घटना का **हेतुक/मोटिव था** वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त विद्युत यादव के विरूद्ध **शिकायती प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत करना था, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त विद्युत यादव ने वादी मुकदमा व उसकी चचेरी बहन छंगुरी देवी को जब वे बोझी बाजार से अपने घर आ रहे थे सतेन्द्र यादव के ट्यूबेल के मोड़ के पास रोके व विरोध करने पर वादी मुकदमा की चचेरी बहन को धक्का देकर गिरा दिये, जिस कारण उसके शरीर में चोट आ गयी तथा वादी मुकदमा को लात–मुक्का व घूसा से मारे–पीटे। *बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन के इस कथानक पर अविश्वास किया जा सके कि चोटहिलगण के साथ अभियुक्तगण द्वारा मार–पीट नहीं की गयी। अभियोजन पक्ष*

*अभियुक्तगण द्वारा मार–पीट किये जाने के बिन्दु को अपने साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। अतः विनिश्चय बिन्दु **(i)** विधिनुसार अभियोजन पक्ष में निस्तारित किया जाता है।*

40. (ii). क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व चोटहिल छंगुरी देवी को गाली–गुप्ता दी गयी ?

किसी व्यक्ति को इस संहिता के तहत वर्णित अपराध में दोषी तब माना जाता है 'जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा ;

किसी भी आपराधिक मामले में किसी घटना को साबित करने के संबंध में सर्वाधिक महत्ता/भार पीड़ित पर होता है, जिसके साथ कि घटना कारित की गयी होती है। प्रश्नगत मामले में वादी मुकदमा/पीड़ित द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे व उसकी चचेरी बहन छंगुरी देवी को गाली–गुप्ता देकर साशय अपमानित किया गया है। केवल तहरीर कागज संख्या 5क में उल्लेख है कि अभियुक्तगण बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में जांच कराने के संबंध में पूछे और उसे गाली देने लगे। साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 सतेन्द्र यादव व साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव ने अपने साक्ष्यों में अभियुक्तगण द्वारा गाली–गुप्ता दिया जाना कहा है, किन्तु जिस साक्षी/पीड़ित के साथ यह घटना कारित की गयी उसने अभियक्तगण द्वारा गाली–गुप्ता दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं दिया है। ***अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध गाली–गुप्ता दिये जाने के बिन्दु को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः विनिश्चय बिन्दु (ii) विधिनुसार बचाव पक्ष में निस्तारित किया जाता है।***

41. (iii). क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व छंगुरी देवी को जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किया गया ?

जहां तक किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–**3(1)x** के तहत अपराध कारित किये जाने का प्रश्न है तो इस धारा में वर्णित अपराध किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया जाना तब माना जाता है "जो कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा;"

(1). वादी मुकदमा/साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवअवध ने **तहरीर प्रदर्श क–01/कागज संख्या–5क में कहा है कि** घटना दिनांक 18.12.2007 को समय 07:00 बजे शाम को जब वह तथा उसकी चचेरी बहन छंगुरी देवी बोझी बाजार से घर लौट रहे थे तो रास्ते में विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव पुत्रगण रामधारी यादव, बृजेश यादव पुत्र इन्द्रजीत ग्राम बेलभद्रपुर व बालमुकुन्द यादव पुत्र बिंदेश्वरी ग्राम खंतिया थाना घोसी मिले और कहे कि बी0पी0एल0 कार्ड

के संबंध में जांच कराया है और **गाली देने लगे, जिसका विरोध उसकी चचेरी बहन ने किया, जिसको धक्का देकर गिरा दिये तथा वादी मुकदमा को लात–मुक्का व घूसा से मारने लगे।** शोर पर गांव के सतेन्द्र यादव पुत्र श्रीरामाधार यादव व वशिष्ठ यादव पुत्र तपसी यादव आ गये, जिन्होंने मौके पर बीच–बचाव किया। यह घटना सतेन्द्र यादव के ट्येबल के मोड़ के पास हुई।

(2). वादी मुकदमा / साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 रामअवध ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 18.12.2007 की शाम सात बजे वह अपनी बहन झुमरी उर्फ झिंगुरी के साथ बोझी बाजार से घर लौट रहा था कि रास्ते में राजेन्द्र, बालमुकुंद, बृजेश मिले और कहे कि साले बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में जांच कराया है और कहे कि **चमारियो–सियारियो काहे जांच कराये हो।** यह कहकर उसकी बहन को धक्का देकर गिरा दिये। उसे दो–तीन जगह चोट आयी। दोनों बांह में चोट आयी थी तथा सीने में दर्द था। हम लोगों का डॉक्टरी सरकारी अस्पताल में हुआ था। मुल्जिमान के मारने पर उसने शोर किया। बीच–बचाव करने उसके गांव के सतेन्द्र यादव व वशिष्ठ आये। सी0ओ0 साहब ने उसका बयान लिया था। उसने उनको मौका दिखाया था। मुल्जिमान हमें बोझी से बलभद्रपुर और बलभद्रपुर से बोझी जाने वाले रास्ते पर राजेन्द्र यादव के खेत के पूरब तरफ मारे थे जबकि **प्रति परीक्षा** में इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं आया है।

इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त कथनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 18.12.2007 की शाम सात बजे वह अपनी बहन झुमरी उर्फ झिंगुरी के साथ बोझी बाजार से घर लौट रहा था कि रास्ते में राजेन्द्र, बालमुकुंद, बृजेश मिले और कहे कि साले बी0पी0एल0 कार्ड के संबंध में जांच कराया है और कहे कि **चमारियो–सियारियो काहे जांच कराये हो।**

(3). साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सतेन्द्र यादव ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 18.12.2007 को समय सात बजे शाम की है। रामअवध व छंगुरी देवी के शोर पर वह घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव तथा बालमुकुन्द आदि लोग रामअवध व छंगुरी को मार रहे थे **तथा गाली चमारिया–सियारिया मादरचोद की दे रहे थे, किन्तु** प्रति परीक्षा में इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं आया है।

इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त कथनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घटना दिनांक को **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव तथा बालमुकुन्द आदि लोग रामअवध व छंगुरी को चमारिया–सियारिया व मादरचोद कहकर अपमानित किये।**

(4). साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव के साक्ष्य की मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किये जाने के बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं आया है।

(5). वादी मुकदमा / साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 व चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सतेन्द्र यादव की मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्यों अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण वादी मुकदमा व चोटहिल छंगुरी देवी को जाति सूचक शब्द

चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किये। यदि साक्षी पी0डब्ल्यू0–01, चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सतेन्द्र यादव व साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव के साक्ष्य की **प्रति परीक्षा में इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया गया है तो इसका कोई लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी नहीं है, *क्योंकि प्रति परीक्षा में किन बिन्दुओं पर प्रश्न साक्षी/साक्षीगण से किया जाना है इसका भार बचाव पक्ष पर होता है न कि अभियोजन पक्ष पर।*** *बचाव पक्ष का यह कथन कि वादी मुकदमा ने जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किये जाने के बिन्दु पर कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया है तो इस संबंध में न्यायालय इस निष्कर्ष एवं मत का है कि तहरीर* ***किसी भी घटना को कारित किये जाने के तथ्यों की सूक्ष्म सूचना मात्र होती है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाती है, जिसमें केवल घटना से सूचना को लेखबद्ध किया जाता है और घटना से संबंधित सूक्ष्म–से–सूक्ष्म बात दौरान विवेचना व साक्षीगण के साक्ष्यों से निकलकर आती है। इस तथ्य का लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वादी मुकदमा ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि अभियुक्तगण*** **चमारियो–सियारियो काहे जांच कराये हो, कहे और साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 ने भी अपने साक्ष्यों में इस कथन की पुष्टि की है।** *घटनास्थल नक्शा नजरी प्रदर्श क–04 के अवलोकन के अनुसार घ टनास्थल को "A" से दर्शाया गया है, जो कि एक सार्वजनिक रास्ता/मार्ग है, जहां पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व छंगुरी देवी को जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किया गया है, जो कि इस अधिनियम के तहत उल्लिखित प्राविधान के दण्डित किसी व्यक्ति को दण्डित किये जाने के लिए पर्याप्त है, जिसमें कि कहा गया है कि जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा, जैसा कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया।* ***"A" एक सार्वजनिक रास्ता है और वादी मुकदमा व साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 ने अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किये जाने का साक्ष्य दिया है।*** *बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन के इस कथानक पर अविश्वास किया जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित न किया गया हो। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किये जाने के बिन्दु को अपने साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः विनिश्चय बिन्दु (iii) विधिनुसार अभियोजन पक्ष में निस्तारित किया जाता है।*

42. विवेचक / साक्षी पी0डब्ल्यू0–06 सत्यम द्वारा, जो कि मामले के विवेचक रहे हैं, नक्शा नजरी को बतौर प्रदर्श क–04 व आरोप पत्र को बतौर प्रदर्श क–05 साबित किया गया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–04 हृदयानन्द पाण्डेय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को बतौर प्रदर्श क–02 व जी0डी0 कायमी को बतौर प्रदर्श क–3 साबित किया गया है।

43. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी डी0डब्ल्यू0–01 शम्भूनाथ प्रसाद द्वारा दिये गये मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में दिये गये साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि इस साक्षी ने प्रथम बार केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य दिया है कि कागज संख्या 166क उसके हस्तलेख में है, किन्तु यह साक्षी राजेन्द्र प्रसाद की चिकित्सा से संबंधित अस्पताल में रखे किसी रिकॉर्ड को लेकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कह देने मात्र से चिकित्सीय प्रपत्र को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अस्पताल से सम्पूर्ण प्रपत्रों के माध्यम से चिकित्सीय प्रपत्र को साबित न किया जाये। अर्थात् यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

44. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी डी0डब्ल्यू0–02 रमेश राय द्वारा दिये गये मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में दिये गये साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि उसके पिता अभियुक्त विद्युत यादव के पिता के अच्छे दोस्त थे और वह अभियुक्त विद्युत यादव को ब्लॉक प्रमुख होने के नाते निमंत्रण दिया था। अभियुक्त ने घटना दिनांक इस साक्षी के पिता के पूण्यतिथि भोज में भाग लिया था इस संबंध में न तो कोई पूण्यतिथि भोज का निमंत्रण प्रस्तुत किया गया है, न कोई प्रमाणित फोटोप्रति दाखिल की गयी है और न अन्य कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कि यह विश्वास कर लिया जाये कि अभियुक्त घटना दिनांक को घटनास्थल पर उपस्थित न होकर बचाव पक्ष के साक्षी रमेश राय के पिता की पूण्यतिथि भोज में उपस्थित था। अर्थात बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह साक्षी भी विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

45. जहां तक साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 / वादी मुकदमा, साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सतेन्द्र यादव व साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव के साक्ष्यों में घटना के संबंध में जैसे कि विवेचक के बयान लेने, घटनास्थल के आस–पास के क्षेत्र को न दर्शाने, घटनास्थल से बाजार व गांव की दूरी, घ टनास्थल के किस दिशा में किसका खेत, साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सत्येन्द व साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव के घटनास्थल पर पहुंचने आदि के संबंध में सूक्ष्म विरोधाभास का संबंध है तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **फौजदारी अपील संख्या 1438 / 2011 एस0सी0, 26 मार्च, 2021 राजेन्द्र उर्फ राजप्पा व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि *यदि साक्षीगण के साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास है तब इसका कोई लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी नहीं हैं। समय व्यतीत हो जाने के साथ–साथ सूक्ष्म विरोधाभास आ जाना सम्भव है, जिसके आधार पर साक्षीगण के साक्ष्यों को अविश्वसनीय नहीं माना जायेगा।"* माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का न्याय दृष्टांत **गौरूसू नागाराजू बनाम स्टेट आफ आंध्र प्रदेश 2018 ए0आई0ए0आर0 (क्रिमिनल) 548** के मामले में प्रतिपादित करते हुए कहा है कि:– "It is a well setteled principle of criminal law that some minor contradiction or inconsistency in evidence can not affect the material evidence and

such contradiction or inconsistency can not be made basis to discard the whole evidence as unreliable." साक्षीगण के साक्ष्यों में सूक्ष्म विरोधाभास है, किन्तु वह इस स्तर का नहीं है कि यह मान लिया जाये कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित ही न की गयी हो। प्रश्नगत मामले में घटना दिनांक 18.12.2007 की है और साक्षी के साक्ष्य घटना कारित होने के लगभग 08–10 वर्ष बाद अंकित हुए हैं और साक्षीगण गांव के रहने वाले देहाती व्यक्ति हैं। ऐसे में इतना सूक्ष्म अंतर आ जाना सम्भव है और विवेचक द्वारा की गयी सूक्ष्म लापरवाही का लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता। चोटहिल छंगुरी देवी की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है।

46. बचाव पक्ष का यह तर्क कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–01 / वादी मुकदमा, साक्षी पी0डब्ल्यू0–02 सतेन्द्र यादव व साक्षी पी0डब्ल्यू0–03 वशिष्ठ यादव एक ही गांव के हैं तथा हितबद्ध साक्षीगण की श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि–निर्णय **प्रहलाद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 1981 सु0को0 1241 का अवलोकन किया गया, जिस** माननीय न्यायालय द्वारा यह न्यायदृष्टांत प्रतिपादित गया है कि जहां साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं तो ऐसी स्थिति में **"Careful Scrutiny"** के नियम का प्रयोग आवश्यक है। न्याय–निर्णय **Md. Jabbar Ali & Ors. Vs. The State of Assam** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां हितबद्ध साक्षीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए घटना का समर्थन करते हुए घटना का साबित करने का प्रयास किया है तब ऐसे में सभी साक्षीगण के साक्ष्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। ***साक्षीगण के साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को जिरह करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ और जिरह में ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है कि साक्षीगण द्वारा झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हों।***

__47.__ मामले के तथ्यों, परिस्थितयों, अभियोजन कथानक तथा उसके परिप्रेक्ष्य में साक्षीगण के साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्यों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्यों से होने, घटना का हेतुक अथवा मोटिव, घटना का दिनांक, समय, थाने पर सूचना दिये जाने के समय तथा घटनास्थल सिद्ध व प्रमाणित होने व उपरोक्त विधि–निर्णयों के प्रकाश में न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध मार–पीटकर जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किये जाने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–323 व धारा–3(1)x एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट के दण्डनीय आरोप से दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। ***अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द को अन्तर्गत धारा–323 व धारा–3(1)x एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।***

48. अभियोजन पक्ष अभियुक्त **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–504 भा0दं0सं0 के आरोप को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा–504 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

49. दोषसिद्धगण **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द** जमानत पर है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दोषसिद्धगण को तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। दोषसिद्धगण की जमानत व स्वबंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः 21.10.2024,

(हरेन्द्र प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट)
जनपद मऊ
आई0डी0–यू0पी0 5964

<u>दिनांकः 21.10.2024, लंच बाद</u>

50. पत्रावली लंच बाद पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक (एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट) तथा दोषसिद्धगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

51. दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्धगण सम्मानित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है और अपने–अपने परिवार में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं उनके जेल जाने से उनके परिवार के जीविकोपार्जन में काफी कठिनाई होगी। प्रकरण सन 2010 का है और दोषसिद्धगण ने विचारण में सहयोग किया है। दोषसिद्धगण को अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अतः दोषसिद्धगण को परीवीक्षा पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

52. इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा वादी मुकदमा व उसकी बहन को मारा–पीटा गया व जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किया गया है। दोषसिद्धगण को परीवीक्षा पर छोड़े जाने से समाज में प्रतिकूल संदेश जायेगा तथा दोषसिद्ध बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं। अतः दोषसिद्धगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

53. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर यह न्यायालय इस निष्कर्ष एवं मत का है कि दोषसिद्धगण द्वारा वादी मुकदमा व उसकी बहन को मारा–पीटा गया व जाति सूचक शब्द चमारिया–सियारिया कहकर अपमानित किया गया है। दोषसिद्धगण को परीवीक्षा पर छोड़े जाने का कोई आधार नहीं हैं। अतः दोषसिद्धगण निम्नलिखित दण्डादेश पाने के अधिकारी है।

<u>–ः आदेश ः–</u>

सत्र परीक्षण संख्या–300159 / 2011, मु0अ0सं0–1052 / 2007 थाना घोसी, जनपद मऊ के मामले में :–

54. दोषसिद्ध **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द** में से प्रत्येक को अन्तर्गत धारा–**3(1)x** एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट के तहत **तीन–तीन** वर्ष के **साधारण कारावास** की सजा व धनराशि **दो–दो हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध में से प्रत्येक **तीन–तीन माह** का अतिरिक्त कारावास भुगतने के अधिकारी होंगे।

55. दोषसिद्ध **विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द** में से प्रत्येक को अन्तर्गत धारा–**323** भा0दं0सं0 के तहत **एक–एक वर्ष के साधारण कारावास** की सजा व धनराशि **एक–एक हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध में से प्रत्येक **एक–एक माह** का अतिरिक्त कारावास भुगतने के अधिकारी होंगे।

56. अभियुक्तगण विद्युत यादव, राजेन्द्र यादव, बृजेश यादव व बाल मुकुन्द को अन्तर्गत धारा–**504** भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

57. दोषसिद्धगण द्वारा इस मामले में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि दण्डादेश में समायोजित की जायेगी तथा समस्त सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

58. तद्नुसार दोषसिद्धगण का सजायाबी वारण्ट तैयार किया जाये।

59. दोषसिद्धगण पर आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से **सत्तर प्रतिशत धनराशि** वादी मुकदमा को पुनर्वास हेतु संदाय होगी।

60. *इस निर्णय की एक प्रति उपरोक्त दोषसिद्धगण को निःशुल्क नियमानुसार अविलम्ब प्रदान की जाये।*

61. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाये।

दिनांकः 21.10.2024,

(हरेन्द्र प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट)
जनपद मऊ
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 5964

62. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

दिनांकः 21.10.2024,

(हरेन्द्र प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट)
जनपद मऊ
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 5964